न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 06/2020

1. अजीजन पत्नी यासीन खां जाति कलाल (मुसलमान) निवासी लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलान्ट –

–बनाम–

1. रजीदेवी पत्नी गुलाम खां जाति ढाढी निवासी लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर

– रेस्पोडेन्टस् –

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 270 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1. श्री अनवर हुसैन अपीलान्ट की ओर से एवं अपीलान्ट अजीजन पत्नी यासीन खां उपस्थित।
2. श्री मोहम्मद सबीर परिहार रेस्पोडेन्ट संख्यां 1 की ओर एवं रजीदेवी रेस्पोडेन्ट से उपस्थित ।
3. पैरोकारराज राज्य की ओर से।

दिनांक :– 25.01.2021

–:निर्णय:–

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट एवं उनके अधिवक्ता व राज पैरोकार उपस्थित। इस पत्रावली से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की जिसके अन्तर्गत अपीलान्ट के नाम से रोही चक 282–200 आरडी तहसील लूनकरनसर के मुरब्बा नम्बर 11/20 के किला नम्बर 16ता20,22ता25 में 9 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 11/21 के किला नम्बर 3 में 1 बीघा अनकमाण्ड, किला नम्बर 9 मे 2 बिस्वा अनकमाण्ड, किला नं. 12,13,18,19 में 4 बीघा कमाण्ड, कि[illegible]2 में 18 बिस्वा कमाण्ड इस प्रकार कुल 15 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 03.01.2018 कार्यालय उपपंजीयक लूनकरनसर में रजीदेवी [illegible] गुलाम खां जाति ढाढी निवासी लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर से क[illegible]की हुई हैं।

25/1/2021

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उक्त बैनामा दिनांक 03.01.2018 का नामान्तरण दर्ज करते समय भूलवंश भूमि तादादी 15 बीघा के स्थान पर सम्पूर्ण भूमि तादादी 19 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड का दर्ज कर दिया गया है तथा जिसमें 15 बीघा भूमि का नामान्तरण अपीलान्ट के हक में दर्ज करना था तथा शेष भूमि 4 बीघा 14 बस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम ही रहनी थी जिसमें अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को दिनांक 01.06.2020 को केसीसी बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबन्दी व अन्य कागजात लेने गया तब उसे पता चला कि उसके नाम की भूमि गलत दर्ज हैं तथा रेस्पोडेंट 1 का भी नाम रिकार्ड से हटा दिया गया हैं तब उसने हल्का पटवारी से नामान्तरण संख्या 270 की नकले व जमाबन्दी की नकले प्राप्त की इस पर अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ है इससे पूर्व अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश को कोई इल्म नहीं था जानकारी होने की तिथि से अपील अन्दर मियाद हैं। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया हैं।

अतः अपीललान्ट वकील द्वरा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2018 जिस रूह से नामान्तरण संख्या 270 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार लूनकरनसर को निर्देश फरमाया जावे कि रोही चक 282-200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 11/20 के किला नं. 16ता20,22ता25 में 9 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 11/21 के किला नं03 में 1 बीघा अनकामाण्ड, किला नं. 09 में 2 बिस्वा अनकमाण्ड , किला नं. 12,13,18,19 में 4 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 23/2 में 18 बिस्पा कमाण्ड, इस प्रकार कुल 15 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपीलान्ट के हिस्से में तथा चक 282-20 आरडी के मुरब्बा नम्बर 11/21 के किला नम्बर 9 में 18 बिस्वा अनकमाण्ड , किला नम्बर 11,20 में 2 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, किला नम्बर 21/2 में 18 बिस्वा कमाण्ड, किला नम्बर 22/2 में 18 बिस्वा कमाण्ड, इस प्रकार कुल 4 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में पुनः नामान्तरण खोल कर वर्णित रकबा में अपीलान्ट व रेस्पोडेनट संख्या 1 की भूमि सही दर्ज की जाकर नये सिरे से नामान्तरण तस्दीक करवाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील के पक्ष में प्रस्तुत रिकार्ड बैयनामा दिनांक 03.01.2018 ईन्तकाल संख्यां 270 की प्रतियां पेश की इसके अलावा जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 पटवार क्षेत्र फूलदेसर रोही ग्राम 282-200 आरडी की प्रति एवं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरण सही करवाने बाबत् शपथ पत्र पेश किये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:03:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित कथनों की पुनरावृति करते हुए पुनः कथन किया कि नामान्तरण संख्या 270 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार लूनकरनसर को निर्देश फरमाया जावे कि रोही चक 282–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 11/20 के किला नं. 16ता20,22ता25 में 9 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 11/21 के किला नं03 में 1 बीघा अनकामाण्ड, किला नं. 09 में 2 बिस्वा अनकमाण्ड , किला नं. 12,13,18,19 में 4 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 23/2 में 18 बिस्पा कमाण्ड, इस प्रकार कुल 15 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपीलान्ट के हिस्से में तथा चक 282–20 आरडी के मुरब्बा नम्बर 11/21 के किला नम्बर 9 में 18 बिस्वा अनकमाण्ड , किला नम्बर 11,20 में 2 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, किला नम्बर 21/2 में 18 बिस्वा कमाण्ड, किला नम्बर 22/2 में 18 बिस्वा कमाण्ड, इस प्रकार कुल 4 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में पुनः नामान्तरण खोल कर वर्णित रकबा में अपीलान्ट व रेस्पोडेनट संख्या 1 की भूमि सही दर्ज की जावे। अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो पुनः नामान्तरण खोल कर भूमि सही दर्ज किये जाने योग्य हैं।

राज पैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का कोई प्रतिरोध नहीं किया। नामान्तरण पुनः खोल भूमि सही दर्ज करने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया जहां तक मियाद का प्रश्न है अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत हुई है। विवादित ईन्तकाल संख्या 270 पुनः नामान्तरण खोल कर भूमि सही दर्ज किये जाने का उचित कारण प्रतीत होता हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 03.01.2018 कार्यालय उपपंजीयक लूनकरनसर में रजीदेवी पत्नी गुलाम खां जाति ढाढी निवासी लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर से क्रय की हुई हैं। स्वीकृत ईन्तकाल 270 प्रथम दृष्टतया यह साबित करता है कि ईन्तकाल संख्या 270 में भूमि का गलत अंकन किया गया हैं। अतः ईन्तकाल संख्या 270 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक पंजीकत बेयनामा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नियमानुसार सही नामान्तरणकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित की जाकर पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:03:35 IST
Reason: SelfAttested

25/1/2021

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर